08/09/2020

2. यह है कि प्रथम पक्ष खतियानी रैयत देवानंद सिंह वगैरह से कोई संबंध नहीं रखता है। उडिसा से आया हुआ व्यक्ति है। पूर्व में भी श्रीमान के न्यायालय में वाद चला था, जिसकवा वाद संख्या–एम. 15/2020 धारा–144 था। जिसमें प्रथम पक्ष की हार हुई है। विवादित जमीन को लेकर प्रथम पक्ष के हाथों ही शांति भंग होने की संभावना बनी हुइ हैं। उन्होने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–144 के तहत द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त करते हुए प्रथम पक्ष के विरूद्ध प्रतिबंधित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

आदेशः–

उभय पक्ष के बहस को सुनने एवं दाखिल किये गये कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित जमीन को प्रथम पक्ष खतियानी रैयत के वंशज के आधार पर दावा कर रहे है। द्वितीय पक्ष विवादित जमीन को अपने पूर्वजो के द्वारा प्राप्त करने के आधार पर दावा कर रहे है। विवादित जमीन में उभय पक्षों में स्वत्व को लेकर विवाद प्रतीत होता है। जो धारा–144 द0 प्र0 सं0 की धारा–144 के तहत आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उभय पक्ष शांति व्यवस्था बनाये रखते हुए स्वत्व को लेकर सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है। इसी निरूपण के साथ वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधति।

8:08/04
अनुमण्डल दण्डाधिकरी
बुण्डू, राँची।

8:36/04
अनुमण्डल दण्डाधिकरी
बुण्डू, राँची।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.03.18 12:26:58 +05:30
Location: 10.93.79.10